समाहरणालय, जहानाबाद
(जिला पंचायत कार्यालय)
पुर्नअल्पकालीन निविदा
पंचायत आम निर्वाचन 2011 से संबंधित कागजातों के विंनिष्टकरण हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के पत्रांक 2110 दिनांक 15.12.16 से प्राप्त निदेश के आलोक में पंचायत चुनाव 2011 से संबंधित कागजातों का विंनिष्टकरण के लिए ग्रेडिंग मशीन द्वारा खण्ड–खण्ड कर लुगदी तैयारी कर उसकी बिक्री कराने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। निर्धारित तिथि तक तीन फर्मो के द्वारा निविदा डाला गया। उक्त निविदा दिनांक 17.02.16 को अपराह्न 3:00 बजे क्रय समिति द्वारा निविदा खोला गया जिसमें दो फर्म तकनीकी रूप से सफल पाये गये एवं एक फर्म तकनीकी रूप से असफल पाये गये। तत्पश्चात् पुर्ननिविदा प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त कार्य को करने के **इच्छुक, निबंधित एजेन्सी/फर्म से दिनांक 12.03.16 के संध्या 3:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदि जिला पंचायत कार्यालय, जहानाबाद में प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष समय 4:00 बजे अपराह्न में खोली जाएगी।** निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उक्त क्रय समिति के समक्ष उपस्थिति रह सकते है।

शर्ते निम्नवत है :–

(क) सामान्य शर्त :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तो को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. निविदादाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए जो छः महीना के भीतर का हो।
5. किसी भी समय बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. संबंधित एजेन्सी का आयकर एवं वाणिज्यकर से निबंधित होना आवश्यक है।
2. संबंधित एजेन्सी का शाप एण्ड स्टैबलिशमेन्ट प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

3. निविदा के साथ मो0–10,000 (दस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से स्थानीय बैंक में भुगतेय देना होगा।
4. अधिकतम दर की निविदा को ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
5. न्यायिक मामलों को छोड़कर मतपत्रों को बज्रगृह से निकलवाना, टुकड़ा, टुकड़ा कर लुगदी करना तथा वजन करने एवं ढुलाई का सारा भार स्वयं निविदादाता को वहन करना होगा।
6. संबंधित एजेन्सी को पेपर का वजन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तुला लाना होगा।
7. किसी भी परिस्थिति में लुगदीकरण का कार्य परिसर से बाहर नहीं किया जाएगा साथ ही यह प्रमाण पत्र देना होगा कि सारे प्रपत्रों को मशीन के द्वारा लुगदीकरण कर दिया गया है।
8. किसी भी समय बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. निविदादाता को कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्व कानूनी कारवाई की जाएगी।

वित्तीय निविदा की शर्ते :–

1. एजेन्सी को मतपत्र का वजन एवं अन्य कागजातो वजन प्रति क्विंटल के दर से अलग–अलग देना होगा।
2. निविदादाता को पेपर वजन के उपरांत तुरंत भुगतान करना होगा।

ह0/-

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)
जहानाबाद।

ज्ञापांक 206 /जि0पं0, दिनांक 27-2-16

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि इसका प्रकाशन जिले के वेवसाईट पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(signature) 27/2/16

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)
जहानाबाद।